



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 जनवरी, 2021

माघ 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-4

संख्या 584/77-4-21-12एन0-07 (डीएनजीआईआर)  
लखनऊ, 29 जनवरी, 2021

अधिसूचना

प0आ0-33

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 3 की उपधारा (1-क) के साथ पठित धारा-2 के खण्ड (ड-2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल अधिसूचना संख्या 1921/77-4-17-12एन-07(डीएनजीआईआर) दिनांक 29 अगस्त, 2017 में संशोधन करती हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,  
आलोक कुमार,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 584/LXXVII-4-21-12N-07(DNGIR), dated January 29, 2021:

No. 584/LXXVII-4-21-12N-07(DNGIR)

*Dated Lucknow, January 29, 2021*

IN exercise of the powers under clause (e-2) section 2 read with sub-section (1-A) of section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976), the Governor is pleased to amend notification no. 1921/LXXVII-4-17-12N-07(DNGIR) dated August 29, 2017.

AMENDMENT

In the aforesaid notification for the words "Uttar Pradesh State Industrial Development Authority", the words "Noida Industrial Development Authority" shall be *substituted*.

By order,  
ALOK KUMAR,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 688 राजपत्र-2021-(1354)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 20 सा० औद्योगिक विकास-2021-(1355)-100 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।